कार्यालय, जिलाधिकारी, खगड़िया।
(आई0सी0डी0एस0 कोषॉग)

अति अल्पकालीन निविदा

निदेशक,आई0 सी0 डी0 एस0 बिहार,पटना पत्रांक 5149 दिनांक 29.10.2020 में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में खगड़िया जिला में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के लिए मातृ उपहार किट्स एवं सेनिटेशन किट्स क्रय किया जाना है। यह निविदा निमित स्थानयी आपूर्तिकर्ताओ से दिनांक 26.03.2021 के अपराह्न 1.00 बजे तक मुहर बंद निविदा जिला प्रोग्राम कार्यालय(आई0सी0डी0एस0) शाखा खगड़िया में आमंत्रित की जाती है। निविदा दाखिल की अंतिम निर्धारित तिथि को ही अपराह्न 3.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में खोला जायेगा।

उपर्युक्त निविदा निम्नांकित शर्तो एवं वंधेजों के अधीन की जाती है।

1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पदनाम से दस हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक निविदा के साथ अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

2. तकनिकी निविदा एवं वितीय निविदा अलग–अलग दाखिल करना होगा। तकनिकी निविदा के साथ निविदा हेतु वांछित समस्त कागजात दाखिल करना होगा तथा वितीय निविदा निम्नांकित प्रपत्र में देने पर ही मान्य होगा।

क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:–

मतृ उपहार किट्स			
क्र0	समग्री का नाम	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का संख्या	दर (सभी करों एवं खर्च सहित)
1	मास्क	3 लेयर	
2	बुकलेट	रंगीन 12 पन्ने का	
3	तौलिया	18•12 इंच	
4	साबुन	50 ग्राम	
अधिकतम 150 रूपये प्रति मातृ उपहार किट्स			
सेनिटेशन किट्स			
1	सैनीटाईजर	500 ml	
2	हैण्डवाश	100 ml	
3	साबुन	50 ग्राम	
अधिकतम 300 रूपये प्रति सैनिटेशन किट्स			

3. निविदादाता न्युन्तम वितिय वर्ष (2018–19 एवं 2019–20) प्रत्येक वितीय वर्ष में कारोवार (एनवल टर्न ओभर) बीस लाख रूपये से कम नही होना चाहिये। C.A से प्रमाणित Audit Report की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न कराना आवश्यक होगा।

Gaurav soni deo

4. माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)/निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

5. आयकर पैन तथा माह दिसम्बर 2020 तक कर अदायगी प्रमाण संलग्न करना होगा।

6. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करना होगा।

7. अनुमोदित आपूर्ति करता को मांग आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामग्री कार्यालय में पहूँचा कर आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।

8. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता ,मात्र तथा दर (जी0एस0टी0 सहित) के अनुरूप करनी होगी, अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटोती करते हुए भुगतान की जायेगी।

9. सभी निविदादाता/उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर आपूर्ति की जाने वाली सामाग्रियों के सीलबंद नमूनों के साथ उपस्थित रहेगें।

10. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. किसी भी परिस्थिति में Sub-contracting स्वीकार नही होगा। इसकी जानकारी मिलने पर फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी से संबंधित घोषणा पत्र देना होगा।

12. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

निविदित सामग्रीयों से संबंधित विस्तृत जानकारी बेवसाईट http://www.khagaria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय अवधि में जिला प्रोग्राम कार्यालय(आई0सी0डी0एस0) शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

जिलाधिकारी
खगड़िया

Gaurav soni deo